International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 14-05-2019; Accepted: 19-06-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 4; July 2019; Page No. 181-184

रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ० सन्तोष कुमार द्विवेदी
सहायक प्राध्यापक, जे०पी० शिक्षा महाविद्यालय, जे०पी० नगर, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास का समीक्षात्मक अध्ययन पर आधारित है। वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में भी भारत वर्ष के अन्य राज्यों की तरह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश राज्य नियम 2011 के अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो पूर्व में गठित पालक शिक्षक संघ का स्थान लिया है। शाला प्रबंधन समिति का कार्य क्षेत्र लगभग वही है जो पालक शिक्षक संघ के थे। रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन प्रगति पर है।

मूल शब्द : रीवा जिला, रीवा विकासखण्ड, शाला प्रबंधन समिति एवं शैक्षिक विकास।

प्रस्तावना
शिक्षा मनुष्य जीवन की परिष्कार एवं विकास की प्रणाली है, जीवन के प्रत्येक अनुभव को शिक्षा कहा जा सकता है। वास्तव में समस्त मानव जीवन ही शिक्षा है। जो कुछ भी व्यवहार मनुष्य के ज्ञान की परिधि को विस्तृत करें, उसकी अर्न्तदृष्टि को गहरा करे, उसकी प्रतिक्रियाओं का परिष्कार करे, भावनाओं और क्रियाओं को उत्तेजित करे अथवा किसी न किसी रूप मे उसको प्रभावित करे, वह शिक्षा ही है। शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व के संतुलित एवं सम्पूर्ण विकास को शिक्षा, का लक्ष्य माना गया है। शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का सर्वांगीण अर्थात् मन बुद्धि तथा आत्मा का विकास है। वास्तव में शिक्षा मूलतः ज्ञान के प्रसार का माध्यम है, चिन्तन तथा परिप्रेक्ष्य के प्रकार का एक तरीका हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन के सही मूल्यों को पहुँचाने तथा भावी पीढ़ी को चुनौतियों के लिए तैयार करने का साधन है।

शिक्षा प्रकाश का वह दीप्तमान स्त्रोत है जो मनुष्य को समाज में एक शिष्ट व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है, तथा उसे अपने नैतिक एवं सामाजिक उत्तर दायित्व का बोध कराती है। शिक्षा ही वह युक्ति है, जिसके कारण, मनुष्य की मानसिक शक्ति का विकास होता है तथा वह सत्यम् शिवम् सुन्दरम् का चिन्तन करनें के योग्य बनाती है।

सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में शिक्षा, शिक्षण एवं शैक्षणिक प्रक्रिया को सरल प्रभावी एवं रोचक बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिये शासकीय स्तर पर कई प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2002 में संसद द्वारा पारित 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान में निहित शिक्षा के इस अधिकार को लागू करने के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। मध्यप्रदेश में सरकार ने इस अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नियम बनाए हैं और ये नियम 26 मार्च 2011 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं। इन नियमों में 20 जुलाई 2011 को आंशिक संशोधन किया गया है और अब ये प्रदेश में लागू हो गये हैं। बच्चों की शिक्षा में उनके माता–पिता और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

शाला प्रबन्धन समिति से अभिप्राय यह है कि किसी विद्यालय में निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक तथा उस विद्यालय के शिक्षकों का ऐसा संगठन जो विद्यालयीन समस्याओं के निदान तथा विकास के लिए कार्य करें, जिसमें न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता–पिता या अभिभावकों में से होंगे दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होगे। इसके अतिरिक्त स्कूल के वरिष्ठतम शिक्षक एवं शिक्षिका समिति के सदस्य होंगे और संस्था प्रमुख या वरिष्ठतम शिक्षक / शिक्षिकिा समिति के पदेन सचिव होंगे।

समिति, प्राथमिक स्कूल के लिए 18 सदस्यीय समिति होगी तथा माध्यमिक स्कूल के लिए 16 सदस्यीय समिति होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता–पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

2. शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण
- **रीवा जिला :** मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्व में अक्षांश व देशान्तर के मध्य स्थित है, जो जिला एवं संभागीय मुख्यालय है।
- **रीवा विकासखण्ड :** रीवा जिले के 9 विकासखण्ड में से एक विकासखण्ड है जहाँ जिला मुख्यालय भी है।
- **प्रारंभिक शिक्षा :** प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8वीं कक्षा की शिक्षा से है जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है जिसे (RTE) के अन्तर्गत अनिवार्य किया गया है।
- **शिक्षा का विकास :** शिक्षा के विकास से आशय यह है कि शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में विकास।
- **शाला प्रबंधन समिति :** शाला प्रबंधन समिति से अभिप्राय यह है कि किसी विद्यालय में निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक तथा उस विद्यालय के शिक्षकों का ऐसा संगठन जो विद्यालयीन समस्याओं के निदान तथा विकास के लिए कार्य करे।

3. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

प्रस्तुत शोध के महत्व का निर्धारण शोध हेतु पूर्व में सुनिश्चित किये गए उददेश्यों की प्रति पूर्ति पर आधारित है। इस दृष्टि से इस शोध कार्य के निम्नलिखित महत्व हैं :–

- शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

4. उद्देश्य

- शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
- शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की स्थिति ज्ञात करना।

5. शोध की परिकल्पनायें

1. शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
2. शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर में सार्थक वृद्धि हुई है।

6. शोध कार्य का परिसीमन व न्यादर्श

शोध समस्या के विस्तृत होने के कारण एवं समय की सीमा के कारण शोध क्षेत्र का परिसीमन निम्नानुसार किया गया हैः–

- **भौगोलिक परिसीमन :** समग्र का निर्धारण भौगोलिक सीमांकन के द्वारा ही संभव होता है। अतः इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु शोध क्षेत्र का रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड में स्थित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उच्च प्राथमिक (पूर्व माध्यमिक) विद्यालयों तक परिसीमित किया है।
- **विषय वस्तु का परिसीमन :** शोधार्थी द्वारा द्वारा चयनित (विषय) प्रारंभिक शिक्षा हेतु संचालित विद्यालयों के शाला प्रबंधन समिति का शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास में योगदान से संबंधित है।

न्यादर्ष

शोध कार्य के न्यादर्श के रूप में रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड के 10 प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, अभिभावको, शिक्षको एवं संस्था प्रमुखों का चयन निम्नानुसार किया गया है–

- संस्था प्रमुख/प्राचार्य –10
- शिक्षक संख्या –20 (प्रत्येक विद्यालय से 2–2 शिक्षक)
- अभिभावक संख्या –100 (प्रत्येक विद्यालय से संबंधित 10–10 अभिभावक)
- विद्यार्थी संख्या–100

7. अध्ययन विधि : प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया गया है–

- **सर्वेक्षण अध्ययन विधि :** सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शोध समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़े मुख्य तथा वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान स्तर की मान्य स्तर से तुलना तथा वर्तमान स्तर को विकसित करने में महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा तथ्यों, परिस्थितियों तथा गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **साक्षात्कार विधि :** शैक्षिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि के द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनो प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस अनुसंधान में भी शोधार्थी ने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।

8. शोध उपकरण

शोधार्थी ने प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है।

9. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से कौल, लोकेश (1998)[1], Gupta, V.P. and Pandey, L.N. (2003)[2], तिवारी ब्रह्मश्री (2010)[3], (RTE, 2011)[4] , पाठक, पी.डी. (1998)[5] ने शोध विधि एवं प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास से सम्बन्धित कार्य किये है।

10. रीवा जिले का सामान्य परिचय :

रीवा जिले का निर्माण सन् 1950 में हुआ था। रियासतों के विलय के पूर्व तक रीवा राज्य उत्तरी एवं दक्षिणी दो जिलों में विभक्त था, जिसमें वर्तमान रीवा, सीधी, शहडोल एवं उमरिया जिले शामिल थे। रीवा जिले में 9 विकासखण्ड है जिनके नाम रीवा, सिरमौर, त्योंथर, रायपुर कर्चुलियान, मऊगंज, गंगेव, जवा, हनुमना एवं नईगढ़ी है। रीवा जिला 24°18′–25°12′ उत्तरी अक्षांश तथा 80°20′–81°12′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

रीवा जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व–पूवोत्तर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश के सीधी और दक्षिण–पश्चिम में सतना जिले की सीमाएं लगती है। रीवा जिला का क्षेत्रफल 6314 वर्ग कि.मी. है।

11. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, जो निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्रमांक – 01 के सन्दर्भ में : "शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"

सारणी क्रमांक 1: शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में प्रभाव का अध्ययन

स. क्र.	अभिमतदाता	न्यादर्श मे चयनित संख्या	शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव से					
			सहमत		आशिंक सहमत		असहमत	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अध्यक्ष	10	09	90.00	01	10.00	-	-
2.	संस्था प्रमुख / सचिव	10	08	80.00	02	20.00	-	-
3.	सदस्य / अभिभावक	20	16	80.00	03	15.00	01	5.00
4.	शिक्षक	20	15	75.00	03	15.00	02	10.00
योग		**60**	**48**	**80.00**	**9**	**15.00**	**3**	**5.00**

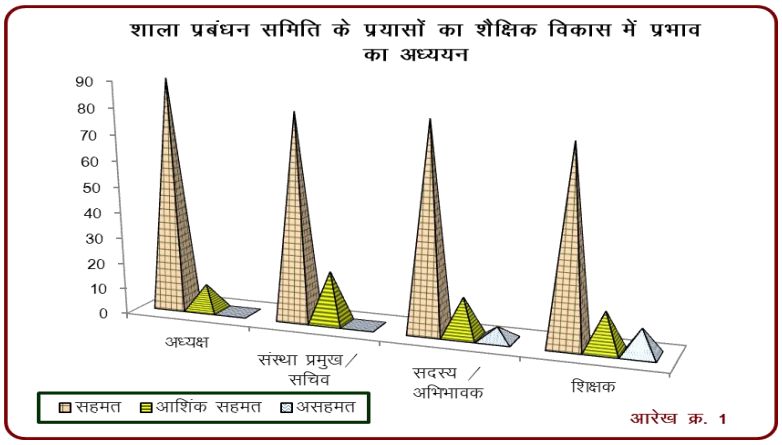

आरेख क्र. 1

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर शाला प्रबन्धन समिति के सहयोग से शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव से 90.00 प्रतिशत अध्यक्ष सहमत एवं 10.00 प्रतिशत आंशिक सहमत है। संस्था प्रमुख 80.00 प्रतिशत सहमत एवं 20.00 प्रतिशत आंशिक सहमत है। सदस्य / अभिभावक 80. 00 प्रतिशत सहमत, 15.00 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं 5.00 प्रतिशत असहमत है। शिक्षक 75.00 प्रतिशत सहमत, 15.00 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं 10.00 प्रतिशत असहमत है।

इस प्रकार शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव से 80.00 प्रतिशत सहमत, 15.00 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 5.00 प्रतिशत असहमत है।

व्याख्या : अतः उक्त तालिका के विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

टत : परिकल्पना क्रमांक 01 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक – 02 के सन्दर्भ में : "शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर में सार्थक वृद्धि हुई है।"

सारणी क्रमांक – 2.1: न्यादर्श में चयनित विद्यालयों में 11 से 14 आयु वर्ग के छात्र / छात्राओं के नामांकन वृद्धि का अध्ययन

सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	नामांकित छात्र / छात्राओं की संख्या		
		कुल दर्ज संख्या (VER/WER में)	नामांकित संख्या (शाला में)	नामांकन दर प्रतिशत
2015-16	10	2115	2115	100.00
2016-17	10	2230	2230	100.00
2017-18	10	2286	2286	100.00

विश्लेषणः उपर्युक्त तालिका क्र. 2.1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गत तीन वर्षो (2015–16 से 2017–18) में VER/WER में बच्चों की कुल दर्ज संख्या विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन की स्थिति में पाया गया है, जो नामांकन की सबसे उत्तम स्थिति है।

व्याख्या : गत तीन वर्षो (2015–16 से 2017–18) के ग्राम शिक्षा रजिस्टर एवं वार्ड शिक्षा रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या शत–प्रतिशत विद्यालयों में नामांकन की स्थिति में पाया जाना शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की उत्तम स्थिति को दर्शाता है।

सारणी क्रमांक – 2.2: शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि का अध्ययन

स. क्र.	अभिमतदाता	न्यादर्श मे चयनित संख्या	शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि से					
			सहमत		आशिंक सहमत		असहमत	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अध्यक्ष	10	10	100ण्00	.	.	.	.
2.	संस्था प्रमुख / सचिव	10	10	100ण्00	.	.	.	.
3.	सदस्य / अभिभावक	20	15	75ण्00	03	15ण्00	02	10ण्00
4.	शिक्षक	20	17	85ण्00	02	10ण्00	01	5ण्00
योग		**60**	**52**	**86ण्67**	**5**	**8ण्33**	**3**	**5ण्00**

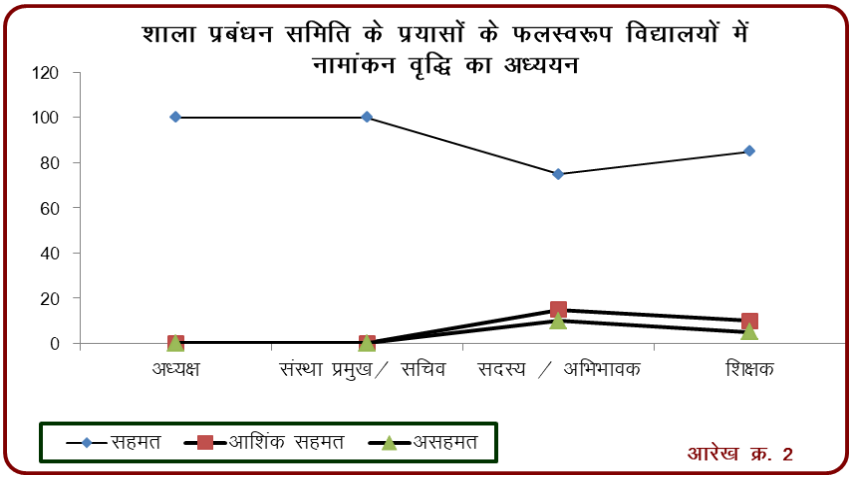

आरेख क्र. 2

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर में शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन वृद्धि से शत–प्रति शत अध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख सहमत है, सदस्य एवं अभिभावक 75.00 प्रतिशत सहमत, 15.00 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं केवल 10.00 प्रतिशत असहमत है, जबकि शिक्षक 85. 00 प्रतिशत सहमत, 10.00 प्रतिशत आंशित सहमत एवं 5.00 प्रतिशत असहमत है।

इस प्रकार शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि से 86.67 प्रतिशत सहमत, 8.33 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 5.00 प्रतिशत असहमत है।

व्याख्या : अतः उक्त तालिका के विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों से विद्यालयों में नामांकन में सार्थक वृद्धि हुई है।

अत : परिकल्पना क्रमांक 02 सत्यापित होती है।

12. निष्कर्ष

शोध अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शाला प्रबंधन का सम्बन्ध मानवीय एवं भौतिक तत्वों से होता है। मानवीय तत्वों के तहत संस्था प्रमुख शिक्षक एवं समुदाय के सदस्य आते हैं। इनके आपसी प्रयासों से शाला की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाता है। भौतिक तत्वों के अन्तर्गत शाला भवन, साज–सज्जा, उपकरण सामग्री आदि आते हैं। शाला को सुचारू रूप से या व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए शाला में उपलब्ध भौतिक तत्वों एवं वातावरण का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) एवं मध्यप्रदेश नियम (2011) के तहत शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसका क्रियान्वयन रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड के विद्यालयों में सफलतापूर्वक हो रहा है।

सन्दर्भ

1. कौल, लोकेश : शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली, 1998.
2. Gupta VP, Pandey LN. Cooperation and participation of community, village education committeeand panchayat raj Institutions in Universalisation of Primary Education (UPE) Agra, India Psychological Review, 2003; 2:69-75.
3. तिवारी ब्रह्मश्री : जन शिक्षा अधिनियम के तहत पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों की जानकारी का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन, एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा, 2010.
4. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) एवं म.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित नियम 26 मार्च 2011 (RTE).
5. पाठक, पी.डी. : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1998.